सचिव, आबकारी एवं वाणिज्यिक कर विभाग व अन्य

बनाम

मै. सन ब्राइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ व अन्य

12 फ़रवरी, 2004

[वी.एन. खरे, सी.जे., एस.बी.सिन्हा और एस.एच. कपाड़िया, जे.जे.]

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1921

विस्तार एवं प्रकृति- धारितः एक स्व-निहित संहिता है।

धारा 24(2) और 62(2)(जी)-लाइसेंस शुल्क-छूट/मुआवजा- हकदार- शराब की दुकान को अनिवार्य रूप से बंद करने का आदेश दिया गया था- माना गया: शराब ठेकेदार लाइसेंस शुल्क के भुगतान में छूट/मुआवजा का हकदार है, जब तक कि औरसा स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया हो।

धारा 24(1)-लाइसेंस शुल्क-छूट/मुआवजा- हकदार- कलेक्टर ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों के लिये जारी की गई हैंडबुक के अध्याय 13 के उप अनुच्छेद 3 के तहत नगरपालिका चुनाव के कारण शराब की दुकानें अनिवार्य रूप से बन्द करने का आदेश दिया। धारित किया गयाः औरसा आदेश बिक्री ज्ञापन की अनुसूची 4 के खण्ड (VIII) के तहत पारित किया गया था, न कि खण्ड (V) के तहत- इसलिये, शराब ठेकेदार निलामी राशि में आनुपातिक छूट/ मुआवजे का हकदार है।

धारा 24(2), 28 और 62(2)(जी), (एच) और (आई)-लाइसेंस शुल्क-छूट/मुआवजा- हकदार- शराब की दुकान राजनीतिक आंदोलन और प्रदर्शन के कारण बन्द रही- धारित किया गयाः बिक्री की सामान्य शर्त खण्ड (VII) के प्रकाश में लाइसेंसधारक लाइसेंस शुल्क में छूट/ मुआवजा का दावा करने का हकदार है।

धारा 28-लाइसेंस शुल्क-छूट का भुगतान-लाइसेंस प्रदान करने में देरी- आबकारी विभाग ने ठेका शुरू होने के कुछ दिन बाद शराब लाइसेंस जारी किया-हाईकोर्ट ने लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट दी- शुद्धता धारित किया गयाः शराब ठेकेदार अधिनियम, सामान्य लाइसेंस शर्तों या बिक्री ज्ञापन की शर्तों के मद्देनजर लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार नहीं है- इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया- हालांकि, लाइसेंसधारी अन्य उपचार का लाभ उठा सकता है, यदि कोई हो।

धारा 24(2) परंतुक- प्रकृति- धारितः अनिवार्य।

प्रत्यर्थी को भारत में निर्मित विदेशी शराब की दुकानें चलाने का ठेका दिया गया था। हालाँकि, अनुबंध शुरू होने की तारीख के कुछ दिनों बाद प्रत्यर्थी को लाइसेंस सौंप दिया गया था।

प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें उसके द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की राशि से छूट और/या मुआवजे

के रूप में कटौती का दावा किया गया (i) तीन दिनों के लिए शराब की दुकानें राजनीतिक आंदोलन और प्रदर्शन के कारण बंद रहीं; (ii) तीन दिनों के लिए जब नगरपालिका चुनाव के लिए दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया था और (iii) लाइसेंस सौंपने में देरी के कारण तीन दिनों के लिए। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। इसलिए अपील की गई।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) और बिक्री ज्ञापन की शर्त संख्या 18 के साथ-साथ सामान्य लाइसेंस शर्त संख्या 8 और उसके नियम VII(3) के मद्देनजर किसी भी मुआवजे और/या छूट का हकदार नहीं है।

प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि बिक्री ज्ञापन की अनुसूची 4 के खंड (V) के मद्देनजर प्रत्यर्थी मुआवजे और/या छूट का हकदार था। न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुए अवधारित किया:-

1.मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एक स्व-निहित संहिता है।

2.अधिनियम की योजना, सामान्य लाइसेंस शर्तें और बिक्री ज्ञापन में निहित शर्तें यह अभिधारित करती हैं कि, उस दशा में जब किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या अन्यथा के तहत लाइसेंसधारी को दुकान बन्द करना अपेक्षित होता है तो वह औरसा करेगा। लाइसेंस शुल्क में छूट का दावा करने का हकदार होगा जब तक कि वह स्पष्ट रूप से वर्जित न हो।

3. बिक्री ज्ञापन की शर्त संख्या 18 कानून द्वारा अधिकृत किसी भी कारण से दुकान के बंद होने की स्थिति में लाइसेंस शुल्क के भुगतान में छूट पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अलावा उक्त प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के संचालन को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। इस संबंध में बिक्री ज्ञापन के खंड 42 में निहित प्रावधान को हटा दिया गया था।

4. लाइसेंसधारी द्वारा खण्ड (1) से (VI) की शर्तों के तहत जिन दिनों में दुकान बन्द की गई तो बिक्री ज्ञापन के खंड (VII) के शर्तों के तहत छूट/रियायत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं।इसलिए, खंड (VII) की शर्तें लाइसेंस शुल्क में छूट और/या मुआवजे के अनुदान पर रोक नहीं लगाता है, यदि उक्त ज्ञापन के खंड (1) से (VI) में उल्लिखित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से बंद करने का निर्देश दिया गया है।

5. यह भी विवादित नहीं है कि किसी भी दुकान को बंद करने का निर्देश देने की कलेक्टर की शक्ति अन्य कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से उत्पन्न हो सकती है।

6. मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों के लिए जारी हैंडबुक के अध्याय 13 की धारा 24(1) के अनुच्छेट 3 के तहत कलेक्टर द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका चुनाव के कारण दुकान बंद करने का आदेश दिया गया था, न कि बिक्री ज्ञापन के खंड (V) के अनुसार।

7. अधिनियम की धारा 24 लाइसेंस शुल्क में छूट के दावे के विरूद्ध नहीं है, उस स्थिति में जब लाइसेंस बंद कर दिया जाता है।

8. यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक अधीनस्थ विधायन के सन्दर्भ में नियम बनाकर या आबकारी आयुक्त द्वारा अपने संविधिक शक्तियों के प्रयोग में सामान्य शर्तें जारी करने का अधिनियम के उपबन्धों के विषय में बिक्री ज्ञापन की शर्तों को बनाकर विरचित किए जाते हैं। संविधिक उपबन्धों के उचित व्याख्या के लिए अधिनियम और नियमों का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन अपेक्षित है। राजनीतिक आंदोलन के परिणामस्वरूप विधि विरूद्ध जमाव स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 24(2) का प्रावधानों को आकर्षित करेगी। बलवा या विधि विरूद्ध जमाव की स्थिति में लाइसेंसधारी को वैधानिक रूप से अपनी दुकान बंद करने का आदेश दिया जाता है। धारा 24(2) का अपवाद आज्ञापक प्रकृति का है।

9. नियम (VIII) ऐसी स्थिति पर भी विचार करता है जहां धारा 24(2) लागू होगी। धारा 24(2) के प्रावधान को मुख्य अधिनियम के एक भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि उसके अपवाद के रूप में। इस प्रकार, सामान्य शर्तों का नियम (VIII) स्थायी या अस्थायी बंद को भी संदर्भित करता है, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया है और, इस प्रकार, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए धारा 24(2) के संदर्भ में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश शामिल होगा। इसलिए, यदि कोई बलवा या विधि विरूद्ध जमाव होने पर मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो

लाइसेंसधारी का दुकान बंद करने का वैधानिक कर्तव्य है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों स्थितियों में सार्वजनिक शांति बनाए रखना अनिवार्य है।

10.1. नियम (VIII) (3) एक भिन्न धरातल पर आधारित है। नियम (VIII) (3) का प्रावधान उक्त नियम, अर्थात नियम (VIII) के तहत बंद करने को संदर्भित करता है। उक्त प्रावधान अकेले नियम (VIII) के खंड (3) को ही समाहित नहीं करता बल्कि खंड (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों को भी अपने दायरे में लाता है। इसलिए, औरसी परिस्थितियों में, लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क और/या क्षति में छूट का दावा करने का हकदार है।

10.2. इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा सही मत व्यक्त किया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिक्री ज्ञापन की शर्त संख्या 42 हटा दी गई है, इसमें शामिल एक क्षति को हटाने की मांग की गई थी। उस सीमा तक कथित आबकारी नीति के खंड 18 को प्रभावी नहीं किया गया है, संभवतः क्योंकि अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन माना जा सकता है।

11. यदि राजनीतिक आंदोलन के दौरान कोई विधि विरूद्ध जमाव होता है, तो अधिनियम की धारा 24 को ध्यान में रखते हुए, शर्त संख्या 42 की वैधता को बनाए रखना भी संभव नहीं हो सकता है। राजनीतिक आंदोलन के कारण विधि विरूद्ध जमाव बिक्री ज्ञापन की शर्त 42, जो कि

आबकारी नीति के खण्ड 18 के संबंध में है, के दायरे में था, उस शर्त काे हटाकर, एक क्षति को दूर करने का प्रयास किया गया है।

अमीर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिड बनाम शापूरजी डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड, जेटी (2003) 8 एससी 108; अशोक लीलैंड लिड बनाम तमिलनाडु राज्य, (2004) 1 स्केल 224 और रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004) 1 सुप्रीम 3555 का अवलम्बन लिया गया।

12.1. अनुसूची 4 के सन्दर्भ में लाइसेंस शुल्क अग्राहय होता है, यदि खण्ड में उल्लिखित कारण से बन्द होता है। इसलिए, जो दुकानें उस क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, जहां चुनाव हो रहा है, वे खंड (V) के दायरे में नहीं आएंगी और इस प्रकार, उपरोक्त खंड (VIII) लागू होंगी, जिसके अनुसार संपर्ककर्ता संबंधित दुकान के लिए आनुपातिक छूट/रियायत निर्धारित नीलामी राशि में अनुदान का हकदार हो जाता है।

12.2. इस दृष्टिकोण को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि खंड (VII) उन ठेकेदारों को बाहर करता है जिन्हें खंड (1) से (VI) में दिए गए अनुसार शुष्क दिवस की घोषणा के कारण अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ी थीं। औरसी दुकानें, जो कि क्षेत्र के बाहर है, उन्हें अधिनियम की धारा 24(1) के तहत पारित आदेश के अनुसार बंद रखना पड़ा था, तो बिक्री ज्ञापन के खंड (VIII) आकर्षित होगी।

उत्तरप्रदेश राज्य. बनाम जगजीत सिंह जेटी (2003) 8 एससी 40, संदर्भित किया गया।

13. हालाँकि, लाइसेंस देने में देरी के लिए प्रत्यर्थी का दावा अधिनियम, सामान्य शर्तों या बिक्री ज्ञापन के शर्तों के दायरे में नहीं आता है। प्रत्यर्थी को इसके संबंध में अन्य उपचार, यदि कोई हो, का लाभ उठाना चाहिए। इस हद तक उच्च न्यायालय का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6425/2002 ।

2000 की डब्ल्यू.पी. संख्या 6021 बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 4.4.2001 से उत्पन्न ।

अपीलकर्ताओं की ओर से प्रकाश श्रीवास्तव।

प्रत्यर्थीगण की ओर से पी.एन. मिश्रा, पी.के. बंसल, पंकज के. सिंह, डाॅ. विनोद तिवारी एवं के.एल जंजानी

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, जे. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का निणर्य दिनांक 4.4.2001 जो कि 2000 की रिट याचिका संख्या 6021 में लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है, अपील में हमारे सामने विचाराधीन है।

यहां प्रत्यर्थी को 1.4.2000 से 31.3.2001 की अवधि के लिए रायपुर जिले में भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें चलाने का ठेका दिया गया था। हालाँकि अनुबंध 1.4.2000 से शुरू होना था, लेकिन उन्हें 3.4.2000 को लाइसेंस सौंप दिया गया था।

प्रत्यर्थी ने अलग-अलग कारणों से तीन अवधियों के लिये उसके द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की राशि से छूट और या मुआवजें के रूप में कटौति का दावा किया हैः-

(I) कई स्थानों पर नगर निगम चुनाव होने के कारण दुकान बंद करने के लिए नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई में 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया था।

(II) 5 दिनों के लिये दुकानें बन्द की गई, जिसमें - छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के संबंध में तीन दिन आंदोलन के कारण, एक दिन उच्च न्यायालय के रायपुर में बेंच के हड़ताल के कारण और एक दिन कारगिल मुद्दे पर हड़ताल के कारण ।

(III) 01 अप्रैल, 2000 से 03 अप्रैल, 2000 तक लाइसेंस न दिये जाने पर।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह अवधारित किया कि जब राजनीतिक आंदोलन और प्रदर्शन के कारण शराब की दुकानें बंद रहीं तो प्रत्यर्थी मुआवजे और/या तीन दिनों के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार था। वह उस अवधि के लिए मुआवजे और/या लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट का भी हकदार पाया गया, जब नगरपालिका चुनाव के लिए दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी लाइसेंस साैंपने में देरी के कारण

तीन दिनों के लिए अर्थात 1 अप्रैल, 2000 से 3 अप्रैल, 2000 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट का भी हकदार था।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश श्रीवास्तव ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी रायपुर में नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर अपनी दुकानें बंद करने के लिए किसी भी मुआवजे और/या लाइसेंस शुल्क में छूट का हकदार नहीं है। मध्य प्रदेश आबकारी शुल्क अधिनियम, 1915 (संक्षेप में "अधिनियम) की धारा 24 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर को लोक शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी दुकानों को बंद करने का निर्देश देने का अधिकार है।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजनीतिक आंदोलन और प्रदर्शन के कारण दुकानें बंद होने से बिक्री ज्ञापन की शर्त संख्या 18 और सामान्य शर्त संख्या (VIII) के मद्देनजर मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

जहां तक 1 अप्रैल,2000 से 3 अप्रैल, 2000 की अवधि के लिए मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले का प्रश्न है, श्री श्रीवास्तव द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह अनुमति योग्य नहीं है।

दूसरी ओर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री पी.एन. मिश्रा की ओर से निवेदन किया गया कि बिक्री ज्ञापन की अनुसूची-4 में निर्धारित शर्तों के खण्ड (V) से जुड़ी टिप्पणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मुआवज़े

के भुगतान का दावा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि जिस क्षेत्र में चुनाव था, 10 खंड (वी) में संलग्न टिप्पणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि जहां स्थानीय निकायों के क्षेत्र में चुनाव होना था, उसके सन्दर्भ में केवल वे दुकानें थीं, जो इसके अंतर्गत आती हैं, जहां अनिवार्य रूप से बन्द करना आवश्यक था।

श्री मिश्रा ने आगे यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2) से जुड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किसी भी बलवा या विधि विरूद्ध जमाव की स्थिति में अपनी दुकान बंद करने के लिए लाइसेंसधारी पर एक वैधानिक कर्तव्य डाला गया था। स्थान और मामले को ध्यान में रखते हुये, लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क के भुगतान से छूट और/या छूट का दावा करने का हकदार था।

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सामान्य लाइसेंस शर्तों के नियम VIII (3), जिस पर अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलम्बन लिया गया, तत्काल मामलें में लागु नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य लाइसेंस शर्तों के नियम VIII का औरसे मामलों में कोई उपयोग नहीं होगा, जहां राजनीतिक आंदोलन के कारण दुकान को बंद करने के लिए मजबूर किया गया हो, जो इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि इसी तरह का प्रतिबंध शर्त संख्या 42 में निहित था, जिसे हटा दिया गया। इस प्रकार श्री मिश्रा ने यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यहां उत्तरदाताओं को अधिनियम के

सभी प्रासंगिक प्रावधानों, सामान्य लाइसेंस शर्तों और बिक्री ज्ञापन में निर्धारित शर्तों पर विचार करते हुये राहत दी गई है।

श्री मिश्रा ने आगे यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी 1 अप्रैल, 2000 से 3 अप्रैल,2000 की अवधि के लिए दुकान चलाने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं था क्योंकि उसे कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उक्त अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित रहा और मामले को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रत्यर्थी उक्त अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान में छूट पाने का हकदार था।

कानूनी शर्तें:

अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार है।

> "24.लोक शांति के लिए दुकानों को बंद करना (1) जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंसधारी से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी औरसी दुकानें जिनमें किसी भी मादक द्रव्य का विक्रय किया जाता हो, औरसे समयों पर या औरसी कालावधि के लिये, जिसे वह लोकशांति के परिरक्षण के लिये आवश्यक समझे, बन्द कर दी जाएं।
>
> (2) यदि किसी दुकान के सन्निकर्ष में किसी भी बल्वे या विधि-विरूद्ध जमाव की आशंका हो, या कोई बलवा या विधि विरूद्ध जमा हो जाये, तो किसी भी वर्ग का

मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि औरसी दुकान, औरसी कालावधि के लिये जिसे वह आवश्यक समझे बन्द कर दी जायेः परन्तु जब कोई बलवा या विधि-विरूद्ध जमाव हो जाये, तो लाइसेंसधारी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में, किसी आदेश के बिना, अपनी दुकान बन्द कर सकेगा।

(3). जब कोई मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश जारी करे, तो वह अपनी इस कार्यवाही की तथा उसके लिये अपने कारणों की इत्तिला कलेक्टर को तत्क्षण देगा।

सामान्य लाइसेंस शर्तों के नियम II और VIII इस प्रकार है:

"II. फीस का भुगतान (1) सभी नशीले पदार्थों के लिए लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को या उससे पहले राजकोष में, बाहरी तहसीलों में या उप-कोषागार में देय होगा।

(2) नशीली दवाओं और देशी शराब की लाइसेंस फीस का भुगतान बारह समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। यदि लाइसेंस शुल्क 12 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो 12 से विभाजन करने के बाद बचे हुए शेष का भुगतान पहली किस्त के साथ किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 32 या नीचे दिए गए नियम VIII के प्रावधानों के अलावा किसी भी छूट या कटौति का दावा नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के रूप में जमा की गई अग्रिम राशि वर्ष के अंतिम महीनों में देय फीस में जमा की जाएगी।"

"VIII. दुकानें खुली रखी जाएंगी और पर्याप्त स्टॉक रखा जाएगा- (1) दुकानें साल भर हर दिन खुली रखी जाएंगी जब तक कि उन्हें अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो। शराब या नशीली दवाओं की ऐसी आपूर्ति, जैसा कि कलेक्टर कर सकते हैं, स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों और नियम XIV में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन, बिक्री की वर्तमान दर पर भुगतान पर सभी आगंतुकों को बिक्री की जाएगी। बिक्री के लिए दुकानें बारिश के दौरान अर्थात् 1 जून से 14 अक्टूबर तक बंद हो सकती है।

(2) ऐसे दिनों में दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी नीलामी के समय कलेक्टर घोषित कर सकते हैंः

परन्तु कलेक्टर, या जिला आबकारी अधिकारी, या उनकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा विधिवत अधिकृत एक

डिप्टी कलेक्टर, फॉर्म एफ.एल. 1 व एफ.एल. 2 के तहत लाइसेंस रखने वाले विदेशी शराब लाइसेंसधारियों को सद्भावी विदेशी आगुन्तकों के लिये विदेशी शराब बिक्री हेतु औरसे दिनों के लिए दुकानें खोलने हेतु निर्देशित कर सकता है।

(3) किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों में दुकानें ऐसी अवधि के लिए बंद रहेंगी, जब तक राज्य सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझे। इस आशय की सूचना जिले के कलेक्टर के माध्यम से लाइसेंसधारी को यथासंभव पहले ही दी जाएगी।

परन्तु, जब इस नियम के तहत कोई दुकान बंद हो जाती है, तो कलेक्टर, आबकारी आयुक्त की पूर्व मंजूरी के साथ, लाभ-हानि के लिए लाइसेंसधारी को मुआवजा दे सकता है।

बिक्री ज्ञापन के साथ संलग्न अनुसूची-4 के प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैंः

"(IV) इसके अलावा, कलेक्टर को प्रशासनिक एवं सावर्जनिक हित में किसी एक या अधिक दुकानों या तहसील या जिले की सभी दुकानों को अतिरिक्त 3 दिनों के लिए बन्द करने का आदेश जारी करने की शक्ति होगी और दुकानें तदनुसार बंद रहेंगी।

(V) लोकसभा और विधानसभा आम चुनाव/उपचुनाव के दौरान, चुनाव/मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले दुकानें बंद रहेंगी। अर्थात चुनाव की तारीख और चुनाव की तारीख से एक दिन पहले और जहां तक चुनाव के बाद के दिनों और गणना के दिनों को शुष्क दिवस घोषित करने का प्रश्न है, संबंधित कलेक्टर को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार होगा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से चुनाव एवं मतगणना दिवसों के बाद शुष्क दिवस घोषित करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। इसी प्रकार, स्थानीय निकायों के आम/उपचुनाव के दौरान भी दुकानें बंद रहेंगी।

नोट: स्थानीय निकायों में नगर निगम, नगर पालिका समिति, नगर पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं। इनके चुनाव के दौरान सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी जहां चुनाव हो रहे है।

(VI) उपरोक्त त्योहारों/अवसरों के अतिरिक्त, प्रत्येक कलेक्टर अपने जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र की सीमाओं का निधार्रण करेगा व प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग दिनों के लिए दुकानें बन्द रहने के सम्बन्ध में निर्णय लेगा, जो कि उनकी सीमाओं में स्थित दुकानों के

श्रमिकों/कामगारों के वेतन और खर्चों के वितरण का दिन होगा। कलेक्टर इन दिनों को इस प्रकार से निश्चित और निर्धारित करेगा कि यह दिन एक कस्बे के मिलों और औद्योगिक संस्थाओं के लिए समान हैं।

(VII) उपरोक्त पैरा (1) से (VI) में उल्लिखित शुष्क दिवस के लिए संबंधित ठेकेदारों को उन दिनों के लिए नीलामी राशि में किसी भी तरह की छूट/रियायत की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही वे किसी भी प्रकार के मुआवजे का हकदार होंगे।

(VIII) यदि उपरोक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अलावा कलेक्टर के लिखित आदेश पर दुकानें बंद रहती हैं तो ऐसी दुकानों के बंद होने की स्थिति में, ठेकेदार संबंधित के लिए निर्धारित नीलामी राशि में आनुपातिक छूट/रियायत का हकदार होगा।

अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है।

लाइसेंसधारी निर्विवाद रूप से उक्त अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाई गई सामान्य शर्तों और बिक्री ज्ञापन के नियमों और शर्तों से बंधे हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि लाइसेंस शुल्क में छूट स्वीकार्य होगी बशर्ते लाइसेंसधारी का दावा उसमें निहित एक या अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आता हो।

अधिनियम की स्कीम, सामान्य लाइसेंस शर्तें और बिक्री ज्ञापन में निहित शर्तें बताती हैं कि, ऐसी स्थिति में, लाइसेंसधारी से अपेक्षित है कि वह वैधानिक प्राधिकारी या अन्यथा द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में दुकान बंद करें। वह लाइसेंस शुल्क में छूट का दावा करने का हकदार होगा, जब तक कि स्पष्ट रूप से वर्जित न हो।

अधिनियम की धारा 24 दो भागों में है। धारा 24 की उपधारा (1) जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी दुकान को बंद करने का निर्देश देने का अधिकार देती है जिसमें कोई भी मादक पदार्थ बेचा जाता है, ऐसे समय के लिए या ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह सार्वजनिक शांति के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे। हालाँकि, धारा 24 की उप-धारा (2) एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित है, जिसमें किसी दुकान के आसपास बलवा या विधि-विरूद्ध जमाव की आशंका या घटना की स्थिति में, किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट को ऐसी दुकानों को इतनी अवधि के लिये, जितना वह आवश्यक समझे, बन्द करने की अपेक्षा कर सकता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में, कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो इसके साथ जुड़े अपवाद में कहा गया है कि लाइसेंसधारी बिना किसी आदेश के भी उक्त दुकान को बंद करेगा।

धारा 24 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधानों को उसके साथ संलग्न परंतुक के साथ पढ़ने पर विधिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बलवा या विधि-विरूद्ध जमाव होने की दशा में दुकान बंद करना आज्ञापक है, चाहे वह मजिस्ट्रेट की पहल पर हो या स्वयं लाइसेंसधारी की

पहल पर हो, एक मात्र अन्तर यह है कि मजिस्ट्रेट एक आदेश पारित कर सकता है, जबकि बलवा या विधि-विरूद्ध जमाव होने की दशा में दुकान बन्द करने का कर्तव्य लाइसेंसधारी पर अधिरोपित है।

यह विवादित नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण आदि के संबंध में आंदोलन के कारण प्रत्यर्थी की दुकानें तीन दिनों तक बंद रहीं।

सामान्य लाइसेंस शर्तों के नियम II के खंड (3) के अनुसार, लाइसेंस शुल्क में छूट या कटौती का दावा उन मामलों को छोड़कर नहीं किया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 32 या सामान्य लाइसेंस शर्तों के नियम VIII के दायरे में आते हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 32 का वर्तमान मामले में कोई प्रयोज्यता नहीं है।

उपर्युक्त नियम VIII में लाइसेंसधारी को पूरे वर्ष भर प्रतिदिन अपनी दुकान खुली रखने का आदेश दिया गया है। हालाँकि, लाइसेंसधारी के भाग पर इस प्रकार स्थायी या अस्थायी बन्द करने का वैधानिक दायित्व कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया है। नियम VIII के खंड (2) में कहा गया है कि नीलामी के समय पूरे दिन दुकानें बन्द रखने के लिए घोषणा कर सकता है। हालाँकि, नियम VIII का खंड (3) राज्य सरकार को सार्वजनिक हित में किसी भी दुकान को बंद करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत करता है, जिसकी सूचना जिले के कलेक्टर के माध्यम से लाइसेंसधारी को यथासंभव पहले से ही दी जानी आवश्यक है। हालाँकि,

नियम VIII से जुड़ा प्रन्तुक, कलेक्टर को लाभ-हानि के लिए लाइसेंसधारी को मुआवजा देने का अधिकार देता है।

बिक्री ज्ञापन के प्रावधान, जहां तक वे अधिनियम या नियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं, किसी न किसी आधार पर दुकान को बंद करने का भी प्रावधान करते हैं।

शर्त संख्या 18 में शराब निषेध नीति शामिल है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है, जो इस प्रकार है:

> "(18) शराब निषेध नीति और प्राकृतिक कारणों से दुकानों का बंद होनाः-
>
> किसी भी पड़ोसी राज्य या राज्य की शराब निषेध नीति के परिणामस्वरूप, कोई दुकान/दुकानें बंद हो जाती हैं, तो राज्य द्वारा ठेकेदार को इस संबंध में कोई मुआवजा देय नहीं होगा। इसी तरह पड़ोसी राज्य में शराबबंदी के कारण या किसी अन्य कारणों से, यदि राज्य वर्ष 2000-2001 के दौरान किसी भी दुकान को खोलने के लिए आवश्यक मानते है, तो आबकारी आयुक्त के पास और ऐसा करने की शक्ति होगी और ठेकेदार की ओर से कोई आपत्ति पर विचार किया जाएगा और न ही स्वीकार किया जाएगा और आपत्तिकर्ता को कोई भी मुआवजा या किसी भी प्रकार की छूट रियायत देय नहीं होगी। यदि अनुबंध की अवधि के दौरान, ठेकेदार

को प्राकृतिक आपदा, खगोलीय समस्या या राजनीतिक प्रदर्शन, सार्वजनिक प्रदर्शन, आंदोलनों, कानून और व्यवस्था की समस्याओं के परिणामस्वरूप किसी भी तरह की हानि या क्षति होती है, तो ठेकेदार किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। सभी लाइसेंस मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 और उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित नियमों और राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर पारित और जारी किए गए आदेशों/निर्देशों के अधीन होंगे।"

उक्त प्रावधान कानून द्वारा अधिकृत किसी भी कारण से दुकान बंद होने की स्थिति में लाइसेंस शुल्क के भुगतान में छूट पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसके अलावा उक्त प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के संचालन को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। जैसा कि यहां पहले कहा गया है, उससे प्रतीत होता है कि इस संबंध में बिक्री ज्ञापन के खंड 42 में निहित प्रावधान को हटा दिया गया है।

विक्रय ज्ञापन के साथ संलग्न अनुसूची-4 में 2000-2001 के लिए प्रस्तावित शुष्क दिवसों का प्रावधान है।

विक्रय ज्ञापन का खंड (IV) कलेक्टर को प्रशासनिक और सार्वजनिक हित में अनुसूची-4 के खंड (1) में दिए गए दिनों के अलावा किसी भी या अधिक दुकानों को तीन दिनों के लिए बंद करने का निर्देश देने का अधिकार देता है। खंड (V) में चुनाव कराने के लिए निर्धारित समय के दौरान 48 घंटे तक दुकानें बंद रखने का प्रावधान है। खंड (V) में निहित प्रावधान स्थानीय निकायों के सामान्य/उपचुनावों के मामले में भी लागू होते हैं। हालाँकि, इसके साथ संलग्न टिप्पणी में यह प्रावधान है कि चुनाव के दौरान स्थानीय प्राधिकारियों के अलावा, केवल उन क्षेत्रों की दुकानें बंद रहेंगी जहाँ चुनाव हो रहे हैं। हालाँकि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि रायपुर जिले के कलेक्टर ने धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत दुकानों को 48 घंटों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया था, जो नगरपालिका परिषद भिलाई-III चरोदा नगर पालिका परिषद की सीमा से 25 कि.मी. के दायरे में आते हैं। इसलिए, ऐसा आदेश खंड (V) के दायरे से बाहर था।

उक्त ज्ञापन के खंड (VI) में औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत या उसके आसपास दो दिनों के लिए खंड (I) से (V) में निर्दिष्ट दिनों के अलावा दुकान को बंद करने का प्रावधान है।

उपरोक्त बिक्री ज्ञापन के खंड (VII) के अनुसार, उपरोक्त खंड (I) से (VI) के अनुसार लाइसेंसधारी औरसी दुकानों के बन्द होने के दिनों के लिए किसी भी छूट/रियायत के हकदार नहीं हैं। खण्ड (VII), इसलिए, लाइसेंस

शुल्क में छूट और/या मुआवजे देने पर रोक नहीं लगाता है यदि उक्त बिक्री ज्ञापन के खंड (1) से (VI) में उल्लिखित कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से बंद करने का निर्देश दिया गया है।

यह भी विवादित नहीं है कि किसी भी दुकान को बंद करने का निर्देश देने की कलेक्टर की शक्ति अन्य कानूनों के प्रावधानों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से उद्भव हो सकती है।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों को जारी की गई हैंडबुक के अध्याय 13 के उप अनुच्छेद 3 में प्रावधान है:

> "3. शराब की बिक्री पर प्रतिबंधः (ए) प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक चुनाव के दौरान और उसकी सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में सभी शराब की दुकानें मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले से बंद कर दी जाएंगी और इस अवधि के दौरान बिक्री होगी और शराब की खरीद पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।"

इस प्रकार कलेक्टर रायपुर द्वारा धारा 24 की उप-धारा (1) व उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये शक्ति का प्रयोग किया, न कि बिक्री ज्ञापन के खंड (V) के संदर्भ में।

विक्रय ज्ञापन की शर्त संख्या 42 जो हटा दी गई थी, इस प्रकार है:

"(42) खगोलीय/प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से होने वाली हानि: कोई भी ठेकेदार अनुबंध व्यवसाय में हानि, फसल क्षति या राजनीतिक आंदोलनों, बाजारों का अंतरण या प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए राज्य से किसी भी तरह का मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा।"

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय की शुद्धता पर विचार करना होगा।

अधिनियम की धारा 24 लाइसेंस शुल्क में छूट के दावे के खिलाफ नहीं है, उस स्थिति में जब लाइसेंस समाप्त कर दिया जाता है।

यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक अधीनस्थ कानून या तो अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में बनाए गए नियमों के माध्यम से या आबकारी आयोग द्वारा अपनी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में जारी की गई सामान्य शर्तों या तैयार की गई बिक्री ज्ञापन की शर्तें अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगी। वैधानिक प्रावधानों की उचित व्याख्या के लिए अधिनियम और नियमों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना आवश्यक है। विधि-विरूद्ध जमाव के परिणामस्वरूप होने वाले राजनीतिक आंदोलन पर स्पष्ट रूप से धारा 24 की उप-धारा (2) से जुड़े प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि यहां पहले देखा गया है, बलवा या विधि-विरूद्ध जमाव के मामले में, एक लाइसेंसधारी को वैधानिक रूप से अपनी दुकान बंद करने का आदेश

दिया जाता है। धारा 24 की उपधारा (2) से जुड़ा प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का है।

सामान्य लाइसेंस शर्तों का नियम VIII भी लाइसेंसधारक को पूरे वर्ष भर प्रतिदिन दुकान खुली रखने का आदेश देता है, जब तक कि उन्हें अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो। उपर्युक्त नियम VIII भी हमारी राय में ऐसी स्थिति पर विचार करता है, जहां धारा 24 की उप-धारा (2) आकर्षित होगी। धारा 24 की उप-धारा (2) में संलग्न परंतुक को मुख्य अधिनियम के एक भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि उसके अपवाद के रूप में। धारा 24 की उप-धारा (1) और (2) और उसमें संलग्न प्रन्तुक में बताए गए कारणों से दुकान बंद करने का उल्लेख है। जबकि धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत कलेक्टर उपधारा संदर्भ में कलेक्टर उप-धारा (2) के दायरे में आने वाले मामलों में एक आदेश पारित कर सकता है, एक मजिस्ट्रेट भी ऐसा आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार, सामान्य शर्तों का नियम VIII एक स्थायी या अस्थायी बंद को भी संदर्भित करता है, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया है और, इस प्रकार, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांतों के संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 24 की उपधारा (2) के संदर्भ में पारित आदेश शामिल होगा। इस मामले को ध्यान रखते हुये में, यदि कोई बलवा या विधि-विरूद्ध जमाव होने पर मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो लाइसेंसधारी को दुकान बंद करने का वैधानिक कर्तव्य है, वह तथ्य को ध्यान में रखते हुये

कि दोनों ही स्थितियों में सार्वजनिक शांति व व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।

नियम VIII का खंड (3) एक भिन्न धरातल पर आधारित है। नियम VIII के खंड (3) के साथ संलग्न प्रन्तुक बंद करने का उल्लेख करता है, अर्थात नियम VIII के तहत। उक्त परंतुक केवल नियम VIII के खंड (3) को समाहित नहीं करता है, बल्कि उपरोक्त खंड (1) के अंतर्गत आने वाले मामले को भी इसके दायरे में लाता है।

इसलिए, औरसी स्थिति में, लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क और/या क्षति में छूट का दावा करने का हकदार है।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा यह सही राय दी गई है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बिक्री ज्ञापन की शर्त संख्या 42 हटा दी गई है, इसमें शामिल एक क्षति को हटाने की मांग की गई थी। उस सीमा तक कथित आबकारी नीति के खंड 18 को संभवतः इसलिए प्रभावी नहीं किया गया है क्योंकि इसे अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन माना जा सकता है।

हमें ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला सोच-समझकर लिया गया है.' प्राकृतिक आपदा, बलवा या विधि-विरूद्ध जमाव की स्थिति में, लाइसेंसधारी अपनी दुकान खुली रखने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता है। राजनीतिक आंदोलन सहित किसी भी कारण से बलवा या विधि -विरूद्ध जमाव हो सकता है।

यदि राजनीतिक आंदोलन के दौरान कोई विधि-विरूद्ध जमाव होता है, तो अधिनियम की धारा 24 को ध्यान में रखते हुए, शर्त संख्या 42 की वैधता को बनाए रखना भी संभव नहीं होगा। राजनीतिक आंदोलन के कारण विधि-विरूद्ध जमाव आबकारी नीति के खण्ड 18 के संबंध में बिक्री ज्ञापन की संख्या 42 शर्त के दायरे में था। उक्त शर्त को हटाकर, एक क्षति को दूर करने का प्रयास किया गया है। (देखें अमीर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम शापूरजी डेटा प्रोसेसिंग लि0, जेटी (2003) 8 एससी 109, अशोक लीलैंड लि0 बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2004) 1 स्केल 224 और रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम और अन्य (2004) 1 सुप्रीम 355)।

जहां तक कलेक्टर के निर्देशानुसार दिनांक 21.6.2000 को दुकान बंद करने का प्रश्न है, इस पर कोई विवाद नहीं है। कलेक्टर के आदेश की वैधता प्रश्नगत नहीं है। अनुसूची-4 शुष्क दिनों को निर्दिष्ट करती है और उस तारीख को भी निर्दिष्ट करती है जिस दिन दुकानें बंद रहना आवश्यक है। खंड (V) से जुड़ी टिप्पणी विशेष रूप से केवल उन क्षेत्रों की दुकानों को बंद करने का निर्देश देती है जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। क्षेत्र उन मामलों को संदर्भित करता है जिनके संबंध में चुनाव हो रहा है, न कि जो उक्त क्षेत्र के बाहर है।

अनुसूची-4 के संदर्भ में, यदि लाइसेंस किसी भी खंड में उल्लिखित कारण से बंद होता है तो लाइसेंस शुल्क में छूट की अनुमति नहीं है। इसलिए, जो दुकानें उस क्षेत्र के बाहर स्थित हैं जहां चुनाव हो रहा है, वे खंड (V) के दायरे में नहीं आएंगी और इस प्रकार, उपरोक्त खंड (VIII) लागू होंगा, जिसके अनुसार, ठेकेदार संबंधित दुकान के लिए निर्धारित नीलामी राशि में छूट/रियायत में आनुपातिक अनुदान का हकदार हो जाता है।

उपरोक्त राय को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि खंड (VII) में उन ठेकेदारों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें खंड (I) से (VI) में दिए गए प्रावधान के अनुसार शुष्क दिवस की घोषणा के कारण अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ी थीं। यदि क्षेत्र के बाहर आने वाली किसी दुकान को अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत पारित आदेश के अनुसार बंद रखा गया है, तो बिक्री ज्ञापन का खंड (VIII) लागू होगा।

हम देख सकते हैं कि हाल ही में उत्तरप्रदेश राज्य बनाम जगजीत सिंह, जेटी (2003) 8 एससी 40 [2003] 8 एससीसी 270 के मामले में इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ [जिसमें हम में से एक (भारत के मुख्य न्यायाधीश) पक्षकार हैं।] उ.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 59 की व्याख्या की गई, जो की धारा 24 के अनुरूप है। धारित किया गयाः

"धारा 59 जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी शराब की दुकान को ऐसे समय या ऐसी अवधि के लिए बंद करने का

अधिकार देती है, जिसे वह शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे। ऐसे मामलों में जहां ऐसी दुकान के आसपास कुछ बलवा या विधि विरूद्ध जमाव होने की आशंका है, मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस कॉन्स्टेबल रैंक से ऊपर का अधिकारी, जो मौजूद है, दुकान बंद करने का आदेश दे सकता है। धारा 59 के प्ररन्तुक लाइसेंसधारी पर कर्तव्य अधिरोपित करता है कि जिस स्थान पर दुकान स्थित है, वहां बलवा या विधि विरूद्ध जमाव होने की स्थिति में बिना किसी प्राधिकारी के आदेश के दुकान बंद कर सकता है। शांति बनाए रखने के लिए दुकान को बंद करने के प्रावधान के अलावा, धारा 59 ऐसे बंद होने के कारण मुआवजा या छूट देने के लिए किसी भी तरह का प्रावधान नहीं करती है।"

उस स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यदि मुआवज़ा देने पर विशेष रूप से रोक नहीं है, तो उसे दिया जा सकता है।

उ.प्र. आबकारी लाइसेंस (निविदा-सह-नीलामी) नियम, 1991 के नियम 34(ii) की व्याख्या करते हुये यह देखा गया:

"अन्ततः जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि सम्पूर्ण रूप से नीलाम की गई दुकानों को बन्द करने के लिए छूट/क्षतिपूर्ति के लिए किया गया आवेदन, जैसा कि

विचारणीय अपील में मामला है, कायम रखने योग्य होगा। किन्तु यह सम्बन्धित अधिकारियों पर निर्दिष्ट है कि वे छूट/क्षतिपूर्ति के दावे के गुणावगुण पर विचार करें और विधि सम्मत आदेश पारित करें। यह स्थिति 1998 में नियम 34 के संशोधन से पहले के मामलों से संबंधित है।

हालाँकि, जहां तक प्रत्यर्थी के 1 अप्रैल, 2000 से 3 अप्रैल, 2000 लाइसेंस न दिए जाने के लिए 1 अप्रैल, 2000 से 3 अप्रैल, 2000 की अवधि के लिए प्रतिवादी के दावे का संबंध है।

हमारी राय में यह अधिनियम, सामान्य शर्तों या बिक्री ज्ञापन की शर्तों के दायरे में नहीं आता है। उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी को इसके संबंध में अन्य उपचार, यदि कोई हो, का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए, हमारी राय में उस सीमा तक उच्च न्यायालय का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

सामान्यतया, इस मामलें में विधि सम्मत उचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेज देते, किन्तु यहां हम यह पाते है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा जो अभ्यावेदन दायर किया, वह खारिज कर दिया गया था। लाइसेंस की अवधि भी काफी लंबी हो चुकी है। इसके अलावा, लाइसेंस मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रदान किया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी द्वारा दायर क्लेम याचिका पर सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सृजन होने पर की गई।

इसलिए, हमारा आशय उच्च न्यायालय के फैसले के उस हिस्से में हस्तक्षेप करने का नहीं है, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या, सामान्य शर्तों और बिक्री ज्ञापन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए दावे के एक भाग को स्वीकार किया गया।

उपर्युक्त कारणों से, अपील एतदपूर्व सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

वी.एस.एस.

अपील आंशिक रूपसे स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अर्चना मिश्रा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

-- अर्चना मिश्रा